# Abrogation of Article 370 and its Consequences: An Analytical Study

# अनुच्छेद 370 का निराकरण और उसके परिणामः– एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

हेमंत कुमार[1], डॉ. सुनीता सिन्हा[2]

[1]शोधकर्ता , पॉलिटिकल साइंस विभाग, भगवंत विश्वविद्यालय, अजमेर

[2]शोध निर्देशिका ,पॉलिटिकल साइंस विभाग, भगवंत विश्वविद्यालय, अजमेर

**Abrogation of Article 370 and its Consequences: An Analytical Study**

Hemant Kumar[1], Dr. Sunita Sinha[2]

[1]Researcher, Department of Political Science, Bhagwant University, Ajmer

[2]Prof., Department of Political Science, Bhagwant University, Ajmer

**सारांशः** यह अध्ययन तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में भारत सरकार के हालिया निर्णय का विश्लेषण करने का एक प्रयास है। इस निर्णय ने उस विशेष दर्जे को छीन लिया जो तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को प्राप्त था। उक्त निर्णय 5 अगस्त 2019 को किया गया था। पेपर इस क्षेत्र में इस तरह के निर्णय के परिणामों का भी विश्लेषण करता है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था। यह पत्र अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के परिणामों का भी विश्लेषण करता है। अनुच्छेद 370 जिसने जम्मू और कश्मीर को भारत के संविधान में एक विशेष दर्जा के साथ स्वायत्तता प्रदान की। पेपर जम्मू–कश्मीर के संदर्भ में स्वायत्तता के अर्थ को उजागर करने का प्रयास करता है।

**मुख्य शब्दः** भारत का संविधान, अनुच्छेद 370, अलगाव, स्वायत्तता, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 35, जम्मू और कश्मीर, संविधान, विशेष दर्जा ।

## परिचयः

जम्मू और कश्मीर अपनी आकर्षक सुंदरता और भौगोलिक स्थिति के कारण ''पृथ्वी पर स्वर्ग'' के रूप में प्रसिद्ध है। राज्य का एक लंबा इतिहास है और विभिन्न चरणों से गुजरा है। कोई तर्क दे सकता है कि 1846 जम्मू–कश्मीर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

यह इस वर्ष है कि पहला एंग्लो–सिख युद्ध अभी समाप्त हुआ था जिसमें ब्रिटिश विजयी हुए थे।राजा गुलाब सिंह, जो अब तक सिख साम्राज्य की आधिपत्य के तहत जम्मू का प्रशासन कर रहे थे, को भी कश्मीर के एक अतिरिक्त क्षेत्र को आधिपत्य के तहत शासित करने के लिए दिया गया था। ब्रिटिश सरकार का। इसलिए डोगरा शासन का जन्म कश्मीर में महाराजा गुलाब सिंह के साथ पहले डोगरा शासक के रूप में हुआ था। 1927 में, जम्मू और कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह ने जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए कानूनी प्रावधान बनाए, इसलिए कि कोई भी 'बाहरी' राज्य में किसी भी भूमि का मालिक नहीं हो सकता है और उन्हें सरकारी कार्यालयों का भी अधिकार हो सकता है। यही वह सिद्धांत है जिस पर बाद में अनुच्छेद 35।

भारत ने 15 अगस्त, 1947 को ब्रिटिश शासन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन ब्रिटिश भारत के विभाजन के साथ, लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के अंतिम गवर्नर–जनरल थे, ने जून, 1947 की अवधि के दौरान विभाजन योजना की घोषणा की, जिसे ''माउंटबेटन की विभाजन योजना'' भी कहा जाता है। ", जिसमें रियासतों को भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी एक में शामिल होने का विकल्प दिया गया था। उस समय 565 रियासतें थीं। महाराजा हरि सिंह, जो जम्मू और कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक थे, किसी भी राज्य में शामिल नहीं होना चाहते थे और स्वतंत्र रहना चाहते थे। उस समय देशी रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। भारत सरकार ने लगभग सभी राज्यों के साथ एकीकरण किया लेकिन चार रियासतों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वे राज्य थे जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर और जम्मू–कश्मीर। जब जम्मू–कश्मीर को भारतीय संघ के साथ एकीकृत करने का समय आया, तो महाराजा हरि सिंह ने ''इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन'' पर हस्ताक्षर करने में देरी की क्योंकि वह स्वतंत्र रहना चाहते थे। आजादी के कुछ समय बाद, भारत और पाकिस्तान के बीच विभिन्न संघर्ष उभरे, लेकिन कश्मीर संघर्ष इन दोनों देशों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्षों में से एक था जिसने हमेशा इन दोनों देशों को अलग किया और उनके संबंधों को बेहतर होने से रोक दिया। इसलिए पाकिस्तान ने अगस्त 1965 में जम्मू–कश्मीर पर आक्रमण किया। इस ऑपरेशन का कोडनेम ''ऑपरेशन जिब्राल्टर'' था। पाकिस्तान के नेतृत्व ने विशेष रूप से इस नाम को पुर्तगाल ६ स्पेन की मुस्लिम विजय के समानांतर बनाने के लिए चुना था जिसे जिब्राल्टर के बंदरगाह से लॉन्च किया गया था जो ''इबेरियन प्रायद्वीप'' के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। पाकिस्तान के सैनिकों ने स्थानीय पश्तूनों के वेश में कश्मीर घाटी में मुस्लिम बहुल आबादी के बीच विद्रोह को भड़काने के लक्ष्य के साथ भारतीय प्रशासित जम्मू और कश्मीर में प्रवेश किया। महाराजा हरि सिंह ने इन आदिवासी घुसपैठियों से सुरक्षा पाने के लिए भारत सरकार से मदद मांगी। तब महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। जिन शर्तों पर प्ट। (इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन) पर हस्ताक्षर किए गए थे, वे केवल रक्षा, विदेश मामलों और संचार को भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और इन सभी

मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों को जम्मू और कश्मीर के लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। यह भी सहमति बनी कि एक बार स्थिति सामान्य हो जाने के बाद जम्मू–कश्मीर के लोगों के भविष्य के बारे में उनके विचारों का पता लगाया जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक आईएएस अधिकारी श्री गोपालस्वामी अय्यंगार को नियुक्त किया, जिन्होंने अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार किया, जिसने भारत और जम्मू–कश्मीर के बीच संबंधों को परिभाषित किया। लेकिन डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने हमेशा इस अनुच्छेद का विरोध किया क्योंकि उन्हें लगा कि इससे अन्य राज्यों के बीच अंतर पैदा होगा। विलय पत्र (आईओए) पर हस्ताक्षर करते हुए भारत सरकार ने यह भी वादा किया कि वह राज्य के लोगों के विचारों को जानने के लिए राज्य में जनमत संग्रह कराएगी। और महाराजा पाकिस्तानी घुसपैठियों की धमकी के साथ जम्मू चले गए। इस बीच, जम्मू–कश्मीर मुस्लिम सम्मेलन के संस्थापक श्री शेख अब्दुल्ला, जिसे बाद में राज्य के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1939 में ऑल जम्मू–कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूप में नाम दिया गया, 1948 में जम्मू और कश्मीर के प्रधान मंत्री बने। यह तर्क दिया जाता है कि शेख अब्दुल्ला ने रियासतों के भारतीय संघ में विलय का समर्थन किया क्योंकि वह महाराजा के शासन से छुटकारा पाना चाहते थे। इस अवधि के आसपास पं. नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने राज्य और संघ के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए ''दिल्ली समझौते'' के रूप में जाना जाने वाला एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नागरिकों से वादा किया था कि अनुच्छेद 370 सिर्फ एक अस्थायी प्रावधान है और इसे समय के साथ हटा दिया जाएगा। इस अनुच्छेद के निर्माताओं ने समय अवधि का उल्लेख नहीं किया, जैसे एक महीना, एक वर्ष या एक दशक। भारत में असमानता यहीं से शुरू हुई। शेख अब्दुल्ला ने जम्मू–कश्मीर के अधिकांश लोगों को भारत में शामिल होने के लिए सफलतापूर्वक राजी कर लिया था, ताकि नए कश्मीर या ''नया कश्मीर'' के सपने को साकार किया जा सके। आखिरकार, जम्मू–कश्मीर में नेतृत्व राज्य की आंतरिक स्वायत्तता में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं था। 1952 के ''दिल्ली समझौते'' की कुछ अवधि के बाद, शेख अब्दुल्ला की अंतरात्मा जाग गई और उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होकर बहुत बड़ी गलती की है क्योंकि वे अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए विशेष दर्जे को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वह इसके खिलाफ कोई कदम उठा पाता, उसे प्राधिकरण की सीट से हटा दिया गया और 9 अगस्त, 1953 को 'जम्मू–कश्मीर के राष्ट्रपति' या ''सदर–ए–रियासत'' द्वारा कैद भी कर लिया गया और जम्मू–कश्मीर के प्रधानमंत्री बख्शी गुलाम मोहम्मद को नियुक्त किया गया।

राज्य की विशेष स्थिति का क्षरण तब हुआ जब 10 अप्रैल, 1965 को जम्मू और कश्मीर के संविधान में संशोधन किया गया और सदर–ए–रियासत और प्रधान मंत्री के पदों को क्रमशः

राज्यपाल और मुख्यमंत्री में बदल दिया गया। 1975 में, प्रसिद्ध ''कश्मीर समझौते'', 1975 के तहत जम्मू और कश्मीर की स्वायत्तता को और खराब कर दिया गया था और बाद में भारत की संसद द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल थेः

1) जम्मू और कश्मीर राज्य, जो भारत संघ की एक घटक इकाई है, संघ के साथ अपने संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा शासित होता रहेगा।

2) कानून की अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य के भीतर बनी रहेंगी, हालाँकि, संसद के पास भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को अस्वीकार करने, सवाल करने या बाधित करने या भारत के एक हिस्से को अलग करने की दिशा में निर्देशित गतिविधियों की रोकथाम से संबंधित कानून बनाने की शक्ति बनी रहेगी। संघ से भारत का क्षेत्र या भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और भारतीय संविधान का अपमान करना।

3) जहां भारत के संविधान के किसी भी प्रावधान को अनुकूलन और संशोधनों के साथ जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू किया गया था, और ऐसे अनुकूलन और संशोधनों को अनुच्छेद 370, आदि के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा बदला या निरस्त किया जा सकता है।

कश्मीर समझौते के तुरंत बाद, शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा कर दिया गया और उन्हें मुख्यमंत्री के कार्यालय में शामिल किया गया। उम्मीद थी कि यह समझौता संघ के साथ राज्य के संबंधों को मजबूत और आगे बढ़ाएगा लेकिन यह इसकी वैधता साबित करने में विफल रहा। यहां तक कि शेख अब्दुल्ला भी अड़े रहे और अपने पूर्व–समझौते के विचारों को दोहराया लेकिन यह कोई मददगार साबित नहीं हुआ और लोगों की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को घायल कर दिया।

## अनुच्छेद 370 का निराकरण

5 अगस्त, 2019 को, केंद्रीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35। को निरस्त करने की घोषणा की, जिसने तत्कालीन राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35। जम्मू और कश्मीर राज्य विधायिका को राज्य के स्थायी निवासियों और उनके विशेष अधिकारों और विशेषाधिकारों को परिभाषित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 35। 1949 में अपनाए गए भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, लेकिन बाद में उस दिन की राज्य सरकार की सहमति से 1954 के राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से भारत के संविधान में जोड़ा गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी 5 अगस्त 2019 को एक ही दिन लोकसभा में जम्मू–कश्मीर के संबंध में दो विधेयक और दो प्रस्ताव पेश किए। ये इस प्रकार थेः–

1) संविधान (जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन) आदेश, 2019 (भारत के संविधान के अनुच्छेद 370ख1, का संदर्भ)– अनुच्छेद 370 से संबंधित 1954 के आदेश का स्थान लेने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया। खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ) संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत, भारत के राष्ट्रपति ने जम्मू और कश्मीर राज्य की सरकार की सहमति से ऐसा आदेश जारी किया है।

2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का संकल्प। (संदर्भ, कला.370 ख्3,)

3)जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019। (संदर्भ, भारत के संविधान का अनुच्छेद 3)

अनुच्छेद 370(3) भारत के राष्ट्रपति को जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश के आधार पर एक अधिसूचना जारी करके लेख में संशोधन या निरसन करने की शक्ति प्रदान करता है। भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370(1) के संबंध में 5 अगस्त 2019 को जारी संवैधानिक (जम्मू–कश्मीर के लिए आवेदन) आदेश 2019 पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत के संविधान के अनुच्छेद 4 के सभी प्रावधान जम्मू और कश्मीर पर लागू होंगे। साथ ही जम्मू–कश्मीर संविधान सभा को जम्मू–कश्मीर विधान सभा के रूप में पढ़ा जाएगा। धारा 370 में पहले भी इसी तरह के बदलाव किए जा चुके हैं। अब चूंकि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था, भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करने पर कार्यान्वयन समाप्त हो जाएगा।

इसलिए, भारत के राष्ट्रपति ने भारत की संसद की सिफारिश पर घोषणा की कि 6 अगस्त, 2019 से, अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे।

## परिणाम

अध्ययन का दूसरा भाग अनुच्छेद 370 के निरसन के परिणामों से संबंधित है। कोई भी देख सकता है कि जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा समाप्त करने से दक्षिण–पूर्व एशिया में सामान्य रूप से और पूर्व में अभूतपूर्व विकास हुआ। जम्मू–कश्मीर राज्य में इस फैसले के निहितार्थ देखे जा सकते हैं। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से, जम्मू–कश्मीर में सुरक्षा उपायों में वृद्धि और सैनिकों की भारी तैनाती के कारण कमोबेश शांतिपूर्ण रहा। अगस्त 2019 से दिसंबर 2019 तक, राज्य में कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी रही और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की गई, जिसमें चार से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक थी। इसने जम्मू और कश्मीर के लोगों को कई मामलों में पीड़ा दी जैसे उन्हें लगा कि उनके दशकों लंबे विशेषाधिकारों को अलोकतांत्रिक रूप से कम कर दिया गया था और साथ ही वे मोबाइल फोन, लैंडलाइन, इंटरनेट और अन्य सुविधाओं के अवरुद्ध होने से कुल संचार ब्लैकआउट से व्यथित थे। इसने उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर

भारी प्रभाव डाला। कश्मीर मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2015 के अनुसार, मेडिसिन्स सैन्स फ्रंटियर्स द्वारा किए गए एक अध्ययन में बताया गया है कि:

- औसतन, घाटी में रहने वाले एक वयस्क ने अपने जीवनकाल में सात से अधिक दर्दनाक घटनाओं को देखा या अनुभव किया है।
- कश्मीर की पीड़ित आबादी में 37% वयस्क पुरुष और 50% महिलाएं अवसाद से पीड़ित हैं, 21% पुरुष और 36% महिलाएं चिंता संबंधी विकार से पीड़ित हैं और 18% पुरुष और 22% महिलाएं पीटीएसडी से पीड़ित हैं। विकार}।
- कश्मीर घाटी में 1.8 मिलियन (45%) वयस्कों में मानसिक संकट के महत्वपूर्ण लक्षण हैं।
- घाटी में लगभग 5 में से 1 वयस्क (19%) या 771,000 व्यक्ति महत्वपूर्ण च्ज्ै लक्षणों के साथ जी रहे हैं, 248,000 (6%) PTSD के नैदानिक मानदंडों को पूरा करते हैं।
- घाटी में अनुमानित 1 मिलियन वयस्क चिंता संबंधी विकार के महत्वपूर्ण लक्षणों के साथ जी रहे हैं।

इसके अलावा, 5 अगस्त से जम्मू और कश्मीर पर आर्थिक नतीजों के अनुमानों को कई कांग्रेस नेताओं ने उजागर किया है, हालांकि, कांग्रेस नेता और सांसद मनीष तिवारी द्वारा हाल ही में राज्यसभा में दिए गए बयान। उनके भाषण के कुछ अंश नीचे दिए गए हैं:

1) राज्य में 70% लोग कृषि पर निर्भर थे और इस क्षेत्र को रुपये का भारी नुकसान हुआ है। पिछले सात महीनों में 10,000 करोड़।

2) राज्य ने रु- सेब के व्यापार के कारण 2016–17 में 6500 करोड़ रुपये लेकिन पिछले साल अक्टूबर तक फसल की कटाई नहीं हुई थी।

3) 31 लाख लोगों को रोजगार देने वाला पर्यटन क्षेत्र भी चरमरा गया है।

4) सरकार ने खुद पर्यटन से होने वाली कमाई के अपने अनुमान को 2019–20 के 1670 करोड़ रुपये से घटाकर 1170 करोड़ रुपये कर दिया था।

5) जम्मू और कश्मीर चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अनुमान लगाया है कि 4 महीने में 2.4 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है।

## निष्कर्ष

जम्मू–कश्मीर के विशेष दर्जे के विचार और इस निर्णय के परिणामों का विश्लेषण करने के बाद, अध्ययन ने कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले। प्राथमिक निष्कर्ष यह है कि यह निर्णय

जल्दबाजी में और इतने कम समय में लिया गया था कि यह पूरे राष्ट्र के लिए एक फ्लैश समाचार की तरह था। जम्मू–कश्मीर के लोग सदमे में थे. इसने उन्हें अलगाव की भावना दी और वे इस निर्णय से वंचित महसूस करने लगे। यहां यह समझने की जरूरत है कि इस तरह के अलगाव का कारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत गारंटीकृत उनके विशेष विशेषाधिकारों का नुकसान था। दूसरा निष्कर्ष यह है कि निरस्तीकरण ने तत्कालीन राज्य में राजनीतिक अस्थिरता की शुरुआत की है क्योंकि राज्य के लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले मुख्यधारा की पार्टियों को विश्वास में नहीं लिया गया था। लोग चिंतित महसूस करते हैं कि इस प्रकार राज्य में जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो सकता है। इसलिए, जम्मू और कश्मीर के लोगों और भारत संघ के बीच विश्वास बनाने की आवश्यकता है ताकि विश्वास फिर से प्राप्त हो और केंद्र को विश्वास बहाली के उपाय के रूप में राज्य का दर्जा वापस बहाल करना पड़े।

**सन्दर्भः**

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 पर संग्रह, संवाद 2017।

2. कॉन्स्टेंटिन सर्गियू और कोस्लर कार्ल, ''जम्मू और कश्मीर'', ऑनलाइन कम्पेंडियम ऑटोनॉमी अरेंजमेंट इन द वर्ल्ड, जनवरी 2016, www.world&autonomies.info पर।

3. होसकोटे अमिताभ, होसकोटे विशाखा ए, ''जम्मू एंड कश्मीर एंड द पॉलिटिक्स ऑफ आर्टिकल 370ः सीलिंग लीगैलिटी फॉर द इलिजिटिमेट'', पीपलः इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस, वॉल्यूम। 3, अंक 1, (813–835)।

4. कुलश्रेष्ठ प्रदीप, ''अनुच्छेद 370ः संवैधानिक दायित्व और मजबूरी'', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर एंड ह्यूमैनिटीज, वॉल्यूम। 4, अंक 1, जनवरी 2016, (94–112)।

5. म.प्र. जैन, भारतीय संवैधानिक कानून, लेक्सिस नेक्सिस बटरवर्थ्स वाधवा नागपुर, हरियाणा, 2010।

6. मीर खुर्शीद अहमद, ''भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 पर बहस'', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च, वॉल्यूम। 2. अंक 3, 2017.

7. नाथ सूर्यकांत, ''परिग्रहण के साधन का मिथकः एक पुनर्मूल्यांकन'', एप्लाइड रिसर्च के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, वॉल्यूम। 2, नंबर 3, पीपी. 17–18 2016 (17–21)

8. सागर दया, जम्मू और कश्मीरः एक शिकार, महासागर पुस्तक प्रा। लिमिटेड, नई दिल्ली, 2015।

8. YourStory.com जम्मू और कश्मीर का एक संक्षिप्त इतिहास और इसके भविष्य की अटकलें, 11 अगस्त, 2019।

9. राजनीति विज्ञान के लिए एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक, कक्षा 12वीं।

10. ''भारत का संविधान'' पीडीएफ। कानून और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत के प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित फाइल।

11. प्रेस सूचना ब्यूरो, सरकार। भारत की, 6 अगस्त 2019।

12. गृह मंत्रालय, सरकार। भारत की।

13. द इंडियन एक्सप्रेस, 6 अगस्त 2019।

14. कश्मीर मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट, 2015।

15. हिंदुस्तान टाइम्स, 6 मई, 2020।

15. लोकसभा टीवी, कश्मीर मूव पर मनीष तिवारी, 6 अगस्त, 2019।